



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक-14.08.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000/- रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-210/2002 धारा 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 1- महेन्द्र पुत्र बहादुर लाल निवासी- भेलखा थाना बडागांव जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-14.08.2024 को माननीय न्यायालय स्पे० जज गैंगस्टर एक्ट/ए०एस०जे०-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त महेन्द्र उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर एक्ट में 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रू० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी